(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 62/2023
दिनांकः– 29 फरवरी, 2024

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.39 में संषोधन से संबंधित।

सा. आ. (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.39 में निम्नानुसार संषोधन करती हैः

मौजूदा पैरा	संषोधित पैरा
भारतीय पत्तनों पर रूके बिना एक विदेषी राष्ट्र से दूसरे विदेषी राष्ट्र तक माल की षिपमेंट से संबंधित वाणिज्यिक व्यापार, जिसमें भारत का कोई मध्यवर्ती हो, की अनुमति है, जो सीआईटीईएस और स्कोमेट सूची में वस्तुओं/मदों को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।	भारतीय पत्तनों पर रूके बिना एक विदेषी राष्ट्र से दूसरे विदेषी राष्ट्र तक माल की षिपमेंट या **एक विषिष्ट विदेषी राष्ट्र में माल की षिपमेंट** से संबंधित वाणिज्यिक व्यापार जिसमें भारत का कोई मध्यवर्ती हो, की अनुमति है, जो सीआईटीईएस या स्कोमेट के अधीन वस्तुओं को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

अधिसूचना सूचना का प्रभावः सीआईटीईएस परिषिष्टों या स्कोमेट में सूचीबद्ध में वस्तुओं को छोड़कर एक विषिष्ट विदेषी राष्ट्र में किए गए वाणिज्यिक व्यापार को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन अनुमति दी गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
29.2.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाईल संख्या 01/93/180/40/एएम–20/पीसी–।।[ख]/ई–23463 से जारी)